निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 12/2022 तारीख दायरा 14.02.2022

उनवान

1. पुखराज पुत्र रतनलाल जाति मीणा।
2. नरेन्द्र रतनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तह0 सांगोद जिला कोटा।
3. रामलीला पुत्री रतनलाल पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम घटाल तह0 सांगोद जिला कोटा।
4. रिंकू बाई उर्फ शिमला पुत्री रतनलाल पत्नी रामावतार जाति मीणा निवासी ग्राम भौंरा तहसील तहसील खानपुर जिला झालावाड।
5. रवि पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुरजेनी तह0 खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. गनराज पुत्र राजमल जाति मीणा।
2. धनराज पुत्र राजमल जाति मीणा।
3. भंवरी बाई पत्नी स्व0 राजमल जाति मीणा।
4. मुकेश कुमार पुत्र राजमल जाति मीणा।
5. मोतीलाल पुत्र राजमल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद।
6. द्रोपदी बाई पुत्री राजमल पत्नी मुकेश कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम आतरवाडा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
7. अनिताबाई पुत्री किशनलाल पत्नी अशोक कुमार जाति मीणा।
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति मीणा।
9. चौधरा बाई पुत्री किशनलाल पत्नी हेमराज जाति मीणा।
10. नन्दकिशोर पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

11. पदमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा।

12. फूमाबाई पुत्री किशनलाल पत्नी पप्पूलाल जाति मीणा निवासीग्राम भदकेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।

13. बद्रीबाई पुत्री किशनलाल पत्नी छीतरलाल जाति मीणा निवासीनी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

14. रमेशचन्द पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

15. रामपाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

16. सूरज्याबाई पत्नी स्व0 किशनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

दिनांक :— 22/5/2024

श्री दशरथ सिंह (वकील वादीगण)

श्री सुरेश शर्मा (वकील प्रतिवादीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तह0 सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 107 के खसरा नं0 13/495 की 0.23 है0, खसरा नं0 138 की 0.34 है0, खसरा नं0 313 की 0.15 है0, खसरा नं0 331 की 0.85 है0, खसरा नं0 332 की 0.58 है0, खसरा नं0 333 की 0.48 है0, खसरा नं0 88 की 0.26 है0, कुल 7 किता की कुल 2.89 है0 आराजी व माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 आराजी स्थित है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/15 हिस्सा होने से वादीगण का

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बनता है। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात को मौके पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु उक्त आराजी संयुक्त खाते की दर्ज होने के कारण वादीगण को उनके हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने तथा केसीसी जारी करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है, साथ ही सरकार से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त करने में भी काफी परेशानी का सामाना करना पडता है। वादीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का अपनी सुविधा अनुसार विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करवाने के लिए तह0 कार्यालय में चलने की कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो आश्वासन देते रहे, लेकिन अब आज से एक माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यालय में चलकर बंटवारा करवाने से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी नं0 4 का नाम रिंकूबाई दर्ज है, जबकि अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र आदि में वादी नं0 4 का नाम शिमला दर्ज है, वादी नं0 4 का नाम रिंकूबाई घर का नाम है तथा रिकार्ड का व प्रचलित नाम शिमला है। ऐसी स्थिति में उक्त नाम रिंकूबाई के स्थान पर शिमला दर्ज कराने की घोषणा करवाना भी आवश्यक हुआ है। साथ ही माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 आराजी के सहखातेदार किशनलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 7 ता 16 को माल ग्राम अमृतकुआं की आराजी में खोले गये फौती इन्तकाल अनुसार खातेदार कृषक घोषित करवाना भी आवश्यक हुआ है, जिसके लिए वादीगण द्वारा उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा, विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता नं0 नई 107 के खसरा नं0 13/495 की 0.23 है0, खसरा नं0 138 की 0.34 है0, खसरा नं0 313 की 0.15 है0, खसरा नं0 331 की 0.85 है0, खसरा नं0 332 की 0.58 है0, खसरा नं0 333 की 0.48 है0, खसरा नं0 88 की 0.26 है0, कुल 7 किता की कुल 2.89 है0 आराजी व माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर आराजी का विभाजन किया जाकर विभाजन की डिकी पारित फरमायी जावे तथा राज लगान भी पृथक– पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी नं0 4 के घर के बचपन के नाम रिंकूबाई को दुरस्त करके रिकार्ड के अनुसार दर्ज शिमला नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किये जाने व वादी नं0 5 रवि को बालिग दर्ज किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें। माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0, आराजी के सहखातेदार किशनलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 7 ता 16 को माल ग्राम अमृतकुआं की आराजी में खोले गये फौती इन्तकाल अनुसार खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिकी पारित फरमायी जावे। उक्त घोषणा व विभाजन की अनुपालना में राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरस्त कर अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेष पारित फरमाया जावे, इस आषय की घोषणा, विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1 ता 16 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र क अनुसार वाद स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके उपरान्त वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में माल ग्राम अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं की खाता नं0 नई 107 की कुल 7 किता की कुल 2.89 है0 आराजी व माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां की खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 की नकल जमाबंदी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमृतकुआं द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शिमला कुमारी का अध्ययन प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 17 फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, इकबाली जवाब दावा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमृतकुआं द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शिमला कुमारी का अध्ययन प्रमाण पत्र आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाकर दिनांक 24.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्रकरण में तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर मुकर्रर किया जाकर विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 724 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता नं0 नई 107 के खसरा नं0 13/495 की 0.23 है0, खसरा नं0 138 की 0.34 है0, खसरा नं0 313 की 0.15 है0, खसरा नं0 331 की 0.85 है0, खसरा नं0 332 की 0.58 है0, खसरा नं0 333 की 0.48 है0, खसरा नं0 88 की 0.26 है0, कुल 7 किता की कुल 2.89 है0 आराजी व माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज वादी नं0 4 के घर के बचपन के नाम रिंकूबाई को दुरस्त करके शिमला नाम दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा वादी नं0 5 रवि को बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0, आराजी के सहखातेदार किशनलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 7 ता 16 को माल ग्राम अमृतकुआं की आराजी में खोले गये फौती इन्तकाल अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उपरोक्त विवादित आराजी में विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	गनराज हिस्सा 1/6, धनराज हिस्सा 1/6, मुकेश हिस्सा 1/6, मोतीलाल हिस्सा 1/6 पुत्रान राजमल, भंवरी पत्नि राजमल हिस्सा 1/6, द्रोपदी पुत्री राजमल हिस्सा 1/6 जाति मीणा	13/495	0.23	बा.प्रथम	1.84
		138 मध्य	0.11	चा.प्रथम	3.63
		313 मध्य	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		332 पूर्वी	0.51	नहरी	11.22
		331 पश्चिमी	0.06	नहरी	1.32
		5 किता की कुल 0.96 है.			18.66

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
तरकस्या	गनराज हिस्सा 1/6, धनराज हिस्सा 1/6, मुकेश हिस्सा 1/6, मोतीलाल हिस्सा 1/6 पुत्रान राजमल, भंवरी पत्नि राजमल हिस्सा 1/6, द्रोपदी पुत्री राजमल हिस्सा 1/6 जाति मीणा	13 उत्तर पश्चिम	0.27	बा.तृतीय	
		1 किता की कुल 0.27 है.			

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	नन्दकिशोर हिस्सा 1/10, पदमप्रकाश हिस्सा 1/10, रमेशचन्द हिस्सा 1/10,, रामलाल हिस्सा 1/10, नाबा. चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/10 माता संरक्षक पुत्रान किशनलाल, सूरज्याबाई पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/10, अनिता हिस्सा	138 उत्तरी	0.13	चा.प्रथम	4.29
		313 उत्तरी	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		331 पूर्वी	0.79	नहरी	17.38

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

	1/10, चौधराबाई हिस्सा 1/10, फूमाबाई हिस्सा 1/10, बद्रीबाई हिस्सा 1/10 पुत्रीयां किशनलाल जाति मीणा		
		3 किता की कुल 0.97 है.	22.32

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
तरकस्या	किशनलाल पुत्र मथूरालाल पूर्ण हिस्सा जाति मीणा	13 पूर्वी	0.27	बा.तृतीय	
	-	1 किता की कुल 0.27 है.			

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	नरेन्द्र हिस्सा 1/5, पुखराज हिस्सा 1/5 पुत्रान रतनलाल, रामलीला हिस्सा 1/5, रिंकुबाई हिस्सा 1/5 पुत्रीयां रतनलाल, रवि पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/5 जाति मीणा	88	0.26	चा.तृतीय	7.02
		138 दक्षिण	0.10	चा.प्रथम	3.30
		313 दक्षिण	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		332 पश्चिम	0.07	नहरी	1.54
		333	0.48	नहरी	10.56
		5 किता की कुल 0.96 है.			23.07

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
तरकस्या	नरेन्द्र हिस्सा 1/5, पुखराज हिस्सा 1/5 पुत्रान रतनलाल, रामलीला हिस्सा 1/5, रिंकुबाई हिस्सा 1/5 पुत्रीयां रतनलाल, रवि पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/5 जाति मीणा	13 दक्षिण पश्चिम	0.27	बा.तृतीय	
	-	1 किता की कुल 0.27 है.			

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खाता ...जन किया जावें तथा राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जावे। उक्तानुसार ...जस्व रेकार्ड में संशोधन कर अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार ...ने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा। ...क्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे। वाद व्यय वादीनी स्वयं वहन करे।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
(रामावतार मीणा)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.5.24 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द प्राथमिक डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 12/2022 तारीख दायरा 14.02.2022

उनवान

1. पुखराज पुत्र रतनलाल जाति मीणा।
2. नरेन्द्र रतनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तह0 सांगोद जिला कोटा।
3. रामलीला पुत्री रतनलाल पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम घटाल तह0 सांगोद जिला कोटा।
4. रिंकू बाई उर्फ शिमला पुत्री रतनलाल पत्नी रामावतार जाति मीणा निवासी ग्राम भौंरा तहसील तहसील खानपुर जिला झालावाड।
5. रवि पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुरजेनी तह0 खानपुर जिला झालावाड राजस्थान। — वादीगण

बनाम

1. गनराज पुत्र राजमल जाति मीणा।
2. धनराज पुत्र राजमल जाति मीणा।
3. भंवरी बाई पत्नी स्व0 राजमल जाति मीणा।
4. मुकेश कुमार पुत्र राजमल जाति मीणा।
5. मोतीलाल पुत्र राजमल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद।
6. द्रोपदी बाई पुत्री राजमल पत्नी मुकेश कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम आतरवाडा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
7. अनिताबाई पुत्री किशनलाल पत्नी अशोक कुमार जाति मीणा।
8. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति मीणा।
9. चौधरा बाई पुत्री किशनलाल पत्नी हेमराज जाति मीणा।
10. नन्दकिशोर पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

11. पदमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा।

12. फूमाबाई पुत्री किशनलाल पत्नी पप्पूलाल जाति मीणा निवासीग्राम भदकेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।

13. बद्रीबाई पुत्री किशनलाल पत्नी छीतरलाल जाति मीणा निवासीनी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

14. रमेशचन्द पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

15. रामपाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा।

16. सूरज्याबाई पत्नी स्व0 किशनलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री दशरथ सिंह (वकील वादीगण) दिनांक :— 22.5.24

श्री सुरेश शर्मा (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दशरथ सिंह वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री सुरेश शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता नं0 नई 107 के खसरा नं0 13/495 की 0.23 है0, खसरा नं0 138 की 0.34 है0, खसरा नं0 313 की 0.15 है0, खसरा नं0 331 की 0.85 है0, खसरा नं0 332 की 0.58 है0, खसरा नं0 333 की 0.48 है0, खसरा नं0 88 की 0.26 है0, कुल 7 किता की कुल 2.89 है0 आराजी व माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0 आराजी रिकार्ड में दर्ज वादी नं0 4 के घर के बचपन के नाम रिंकूबाई को दुरस्त करके शिमला नाम

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा वादी नं0 5 रवि को बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। माल ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 9 के खसरा नं0 13 की 0.81 है0, आराजी के सहखातेदार किशनलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 7 ता 16 को माल ग्राम अमृतकुआं की आराजी में खोले गये फौती इन्तकाल अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उपरोक्त विवादित आराजी में विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	गनराज हिस्सा 1/6, धनराज हिस्सा 1/6, मुकेश हिस्सा 1/6, मोतीलाल हिस्सा 1/6 पुत्रान राजमल, भंवरी पत्नि राजमल हिस्सा 1/6, द्रोपदी पुत्री राजमल हिस्सा 1/6 जाति मीणा	13/495	0.23	बा.प्रथम	1.84
		138 मध्य	0.11	चा.प्रथम	3.63
		313 मध्य	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		332 पूर्वी	0.51	नहरी	11.22
		331 पश्चिमी	0.06	नहरी	1.32
		5 किता की कुल 0.96 है.			18.66

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
तरकस्या	गनराज हिस्सा 1/6, धनराज हिस्सा 1/6, मुकेश हिस्सा 1/6, मोतीलाल हिस्सा 1/6 पुत्रान राजमल, भंवरी पत्नि राजमल हिस्सा 1/6, द्रोपदी - पुत्री राजमल हिस्सा 1/6 जाति मीणा	13 उत्तर पश्चिम	0.27	बा.तृतीय	
		1 किता की कुल 0.27 है.			

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	नन्दकिशोर हिस्सा 1/10, पदमप्रकाश हिस्सा 1/10, रमेशचन्द हिस्सा 1/10, रामलाल हिस्सा 1/10, नाबा. चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/10 माता संरक्षक पुत्रान किशनलाल, सूरज्याबाई पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/10, अनिता हिस्सा 1/10, चौधराबाई हिस्सा 1/10, फूमाबाई हिस्सा 1/10, बद्रीबाई हिस्सा 1/10 पुत्रीयां किशनलाल जाति मीणा	138 उत्तरी	0.13	चा.प्रथम	4.29
		313 उत्तरी	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		331 पूर्वी	0.79	नहरी	17.38
		3 किता की कुल 0.97 है.			22.32

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
तरकस्या	किशनलाल पुत्र मथूरालाल पूर्ण हिस्सा जाति मीणा	13 पूर्वी	0.27	बा.तृतीय	
		1 किता की कुल 0.27 है.			

ग्राम	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
अमृतकुआं	नरेन्द्र हिस्सा 1/5, पुखराज हिस्सा 1/5 पुत्रान रतनलाल, रामलीला हिस्सा 1/5, रिंकुबाई हिस्सा 1/5 पुत्रीयां रतनलाल, रवि पुत्र	88	0.26	चा.तृतीय	7.02
		138 दक्षिण	0.10	चा.प्रथम	3.30
		313 दक्षिण	0.05	खेडा द्वितीय	0.65
		332 पश्चिम	0.07	नहरी	1.54

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

बजरंगलाल हिस्सा 1/5 जाति मीणा	333	0.48	नहरी	10.56
	5 किता की कुल 0.96 है.			23.07

नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
नरेन्द्र हिस्सा 1/5, पुखराज हिस्सा 1/5 पुत्रान रतनलाल, रामलीला हिस्सा 1/5, रिंकुबाई हिस्सा 1/5 पुत्रीयां रतनलाल, रवि पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/5 जाति मीणा	13 दक्षिण पश्चिम	0.27	बा.तृतीय	
	1 किता की कुल 0.27 है.			

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जावें तथा राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जावे। विवादित उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर अमल दरामद किया जावे। आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X . खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मोहर ....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
	....					
...अर्जीदावा	....	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	---NIL---	
...वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी		
...वजह सबूत	....			महनताना वकील		
...नताना वकील	....			खर्चा गवाहान		
...गवाहान	....			फीस कमिश्नर		
...कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा		
...इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक		
...फर्रिक				मीजान		
मीजान	....					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद